रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-19122022-241218 SG-DL-E-19122022-241218

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] No. 536] दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17, 2022/अग्रहायण 26, 1944

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 404

DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17, 2022/AGRAHAYANA 26, 1944 [N. C. T. D. No. 404

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय—I) विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

संख्या– 07 / 2022–राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(29)/ वित्त(व्यय-I)/2022-23/ डीएस-I/896.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदित्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या। 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा. 03(15)/ वित्त (राजस्व-I)/2017-18/ डीएस-VI/374, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नेलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

(क) अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों, से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री—पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

8459 DG/2022 (1)

- (ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हें प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों, से प्रारंभ होने वाले और "पिरत्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री—पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या "46ख के समक्ष, कॉलम (3) में "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों। के स्थान पर "जिन्हे प्री—पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री—पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्य 77 और 78 के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री—पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि
 - "(i) सभी प्रकार के गुड, जिसमें गन्ने से प्राप्त होने वाले गुड (सामान्य गुड), पलमेरा गुड भी आते हैं उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो;
 - (ii) खांडसारी चीनी उनसे भिन्न, जिन्हे प्री—पेकेज्डो और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 95 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "मुर्की के नाम से ज्ञात है" के पश्चात शब्द "उनसे भिन्न, जिन्हें प्री—पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 97क के समक्ष, कॉलम (3) में, "यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "उनसे भिन्न, जिन्हे प्री—पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थिपित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 99 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शुद्धीकृत" को निरसित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 108 के समक्ष, कॉलम (3) में "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (xiii) क्रम संख्या 118 और 122 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (xiv) क्रम संख्या 132क के समक्ष, कॉलम (3) में ,"जो यूनिट कंटेनर" शब्दोंस से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री—पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थांपित किया जाएगा:
- (xv) क्रम संख्या 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ख) अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii)के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
- "(ii) 'प्री— पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ 'प्री—पैकेज्ड कमोडिटी' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किये गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।"
 - 2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी ।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 30, जून, 2017 को सं.फा. 03(15)/ वित्त(राजस्व-I)/2017—18/ डीएस-VI/374, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2021—राज्य कर (दर), दिनांक 22, मार्च 2022, जिसे सं.फा. 03(165)/ वित्त(व्यय-I)/2021—22/ डीएस-I/197, दिनांक 22, मार्च 2022, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, रविन्द्र कुमार, उप सचिव– I (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 17th November, 2022

No. 07/2022-State Tax (Rate)

No. F. 3 (29)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/896.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide Notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(A) in the Schedule, -

- (i) against S. Nos. 9 and 22, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry "Curd, Lassi, Butter milk, other than prepackaged and labelled" shall be substituted;
- (iii) against S. Nos. 27,29, 30B, 45, 46A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (iv) against S. No. 46B, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (v) against S. Nos. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74 and 75, in column (3), for the portion beginning with "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (vi) against S. Nos. 77 and 78, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than prepackaged and labelled" shall be substituted;
- (vii) against S. No. 94, for the entry in column (3), the entry "(i)Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery,other than pre-packaged and labelled.;
- (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (viii) against S. No. 95, in column (3), after the word "Murki", the words and symbols ", other than prepackaged and labelled" shall be inserted;
- (ix) against S. No. 97A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up" and ending with the words "as specified in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

- (x) against S. No. 99, in column (3), the word "purified," shall be omitted;
- (xi) against S. No. 108, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (xiii) S. Nos. 118 and 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xiv) against S. No. 132A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up" and ending with the words "as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (xv) S. No. 141 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (B) after the Schedule, in the Explanation, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(ii) The expression 'pre-packaged and labelled' means a 'pre-packaged commodity' as defined in clauses (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made there under."
- 2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.
- Note:- The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 19/2021-State Tax (Rate) dated the 22nd March, 2022 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (165)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/197, dated 22nd March, 2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy-I (Finance)